कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां (राज.)

क्रमांक : स्था. / प.14 / आदेश–परिपत्र–04 / 2020 / 1554 दिनांक : 12.12.2020

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक 06 / विविध / 2020 दिनांक 24.11.2020 तथा पृष्ठांकन संख्या सामान्य / XII / 11 / 1990 / 5862 दिनांक 24.11.2020 द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में **दिनांक 25.12.2020 से 31.12.2020 तक शीतकालीन अवकाश (Winter Holidays) घोषित** किया गया है। अतः जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय उक्त अवधि में बन्द रहेगें, **परन्तु वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय राजपत्रित तथा सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर दिनांक 25.12.2020 से 31.12.2020 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में खुले रहेगें।** उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं कर्मचारीगण शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं करेगें।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के उक्त आदेश की पालना में आदेश दिया जाता है कि उक्त अवकाश की अवधि में जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 01 बारां एवं क्रम 02 बारां, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश छबड़ा, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अटरू तथा विशिष्ट न्यायाधीश, (एससी / एसटी प्रकरण) बारां के उपरोक्त शीतकालीन अवकाश की अवधि में उनके न्यायालय के आवश्यक सिविल एवं आपराधिक प्रकृति के ऐसे आवेदन–पत्र जो उपर्युक्त न्यायालयों के समक्ष पेश किये जाते या लम्बित है, को दिनांक **25.12.2020 से 27.12.2020** तक **श्रीमती पूनम शर्मा** – अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां तथा दिनांक **28.12.2020 से 31.12.2020** तक **श्री गौरव शर्मा**–वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मांगरोल सुनेगे एवं निपटायेंगे। उपरोक्त अवधि में उपरोक्त अधिकारीगण बारां मुख्यालय पर न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां के न्यायालय / कार्यालय में कार्य सम्पादित करेंगें। **न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां के कर्मचारीगण दिनांक 25.12.2020 से 31.12.2020 तक राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर शीतकालीन अवकाश अवधि का उपभोग नहीं करेंगें तथा उक्त अवधि में कार्यालय में कार्य सम्पादित करेंगें।**

इसी प्रकार उक्त शीतकालीन अवकाश अवधि में दिनांक **25.12.2020 से 31.12.2020** तक अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालय बन्द रहेगें, परन्तु उक्त अवधि में बारां न्यायक्षेत्र / सेशन खण्ड के आवश्यक जमानत एवं निरोध अवधि की अभिवृद्धि (रिमाण्ड) सम्बन्धी तथा अन्य आवश्यक सिविल मामले व दैनिक कार्यो सहित किये जाने हेतु दिनांक **25.12.2020 से 27.12.2020** तक **श्रीमती नीति वर्मा**–सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अन्ता एवं दिनांक **28.12.2020 से 31.12.2020** तक **श्री रोहित सक्सेना**–सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगंज को जिला मुख्यालय पर **न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां के न्यायालय / कार्यालय में कार्य सम्पादित** करने हेतु तथा प्रोटोकॉल, एवं अन्य व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जाता हैं। **न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां के कर्मचारीगण दिनांक 25.12.2020 से 31.12.2020 तक राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर शीतकालीन अवकाश अवधि का उपभोग नहीं करेंगें तथा उक्त अवधि में कार्यालय में कार्य सम्पादित करेंगें।**

ऐसे कर्मचारी, जो शीतकालीन अवकाश के दौरान कार्य करेंगें, उन्हें राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय मंत्रालयिक संस्थापन नियम 1986 के नियम 35 (क) के तहत अगले कलेण्डर वर्ष में नियमानुसार प्रतिपूरक आकस्मिक अवकाश द्वारा क्षतिपूरित किया जायेगा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बारां (राज.)
दिनांक : 14-12-2020

3352-3376 (स्थानीय)
क्रमांक: 3307-3325 (बाहर)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. जिला कलेक्टर, बारां
3. जिला पुलिस अधीक्षक, बारां को भेजकर लेख है कि सभी थानाधिकारियों को सूचित करने का श्रम करें।
4. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय / प्रतिलिपि शाखा / जिला अभिलेखागार
5. समस्त अधीनस्थ न्यायालय, बारां न्यायक्षेत्र ....
6. प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ मुंसरिम / रीडर ग्रेड–I, जिला न्यायालय, बारां
7. सेशन लिपिक / सिविल लिपिक / इजराय लिपिक, जिला न्यायालय
8. अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद समस्त बारां न्यायक्षेत्र............................
9. जिला न्यायालय बारां के कर्मचारीगण को सूचनार्थ

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बारां (राज.)